न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 9/2019/अपील/आर्म्स एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 20.5.2019
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

सियाराम मीणा आत्मज रामकरण मीणा जाति मीणा निवासी लसोडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, कोटा।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अजय कुमार गौतम अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 18.11.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश कमांक/न्याय/2018/2303 दिनांक 23.5.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अपने ताउजी के नाम से जारी अनुज्ञापत्र शस्त्र लाईसेन्स को अपने नाम से ट्रान्सफर किये जाने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर कमी पूर्ति हेतु दिनांक 2.4.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा समयावधि मे दस्तावेज पेश नही किये जाने से प्रार्थी/अपीलार्थी का आवेदन पत्र आदेश कमांक/न्याय/2018/2303 दिनांक 23.5.2018 से निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलार्थी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाने मे व्यस्त हो जाने समयावधि मे वाछित दस्तावेज पेश नही कर सका। उक्त देरी दस्तावेज तैयार करवाने मे हुई है जो सद्भाविक होने से क्षम्य योग्य है। अपीलांट द्वारा दस्तावेज तैयार करवाकर दिनांक 16.4.2018 को अधीनस्थ के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने देरी मानते हुये आवेदन पत्र निरस्त करने मे त्रुटि की है। अपीलांट को खेती बाडी करने आना जाना पडता है इस कारण अपीलांट को स्वयं की व परिवार की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है ऐसी स्थिति मे अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञापत्र की आवश्कता के मध्यनजर लाईसेन्स जारी किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही कर आवेदन पत्र मनमर्जी रूप से निरस्त कर त्रुटि की है। अपील करने की जानकारी होने पर अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई अतः विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश निरस्त कर अपीलांट के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एंव कानून मे संचित तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी द्वारा ताउजी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को अपने नाम ट्रांसफर हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया था जिसमे दस्तावेजा को तैयार करवाने मे समय लगने से समयावधि मे अधीनस्थ न्यायालय मे पेश नही कर सका। दस्तावेज तैयार करवाकर दिनांक 16.4.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने देरी मानते

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

हुये आवेदन पत्र निरस्त करने मे त्रुटि की है। अपीलांट को खेती बाडी करने आना जाना पडता है इस कारण अपीलांट को स्वयं की व परिवार की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है ऐसी स्थिति मे अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञापत्र की आवश्कता के मध्यनजर लाईसेन्स जारी किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया। अतः जेरअपील आदेश निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के सबंध मे वांछित दस्तावेज पेश कर कमी पूर्ति हेतु समय दिया गया था किन्तु समयावधि मे वांछित दस्तावेज पेश नही किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश से आवेदन पत्र निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट अपने ताउजी के नाम से जारी अनुज्ञापत्र शस्त्र लाईसेन्स को अपने नाम से ट्रान्सफर किये जाने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर कमी पूर्ति कर वांछित दस्तावेज पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया था किन्तु उक्त समयावधि मे वांछित दस्तावेज पेश नही किये जाने पर शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2018/2303 दिनांक 23.5.2018 से निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पत्र दिनांक 2.4.2018 वांछित दस्तावेज पेश करने का दिनांक 6.4.2018 को प्राप्त होने उपरांत वांछित दस्तावेज प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाने मे समय लगने से समयावधि मे पेश नही कर सका। दस्तावेज तैयार करवाने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य योग्य है। अपीलांट द्वारा दस्तावेज तैयार करवाकर दिनांक 16.4.2018 को अधीनस्थ के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो एवं दस्तावेजात पर गौर नही करते हुये दस्तावेज समयावधि मे पेश नही करने के कारण, देरी मानते हुये आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जबकि अपीलांट को खेती बाडी करने आना जाना पडता है इस कारण अपीलांट को स्वयं की व परिवार की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञापत्र की आवश्यकता रहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख व जेरअपील आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है अधीनस्थ न्यायालय ने वांछित दस्तावेज समयावधि मे पेश नही करने के कारण अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र जेरअपील आदेश से निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील आदेश गुणवगुण के आधार पर पारित नही किया गया है। अपीलार्थी का तर्क रहा है कि दस्तावेज तैयार करवाने मे देरी हुई है जो सदभाविक होने से क्षम्य योग्य है। उसके द्वारा दस्तावेज तैयार करवाकर दिनांक 16.4.2018 को अधीनस्थ के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो एवं दस्तावेजात पर गौर नही किया। अपीलार्थी का उक्त तर्क सहज न्याय की दृष्टि से न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2018/2303 दिनांक 23.5.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमांड किया जाता है कि अपीलांट 15 दिवस मे वाछित दस्तावेज पेश कर दे तो दस्तावेजात एवं तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः गुणावगुण के आधार पर विचार कर प्रकरण मे विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह वांछित दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर 15 दिवस की अवधि मे प्रस्तुत करे।

7 निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा